रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N)04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 13] नई दिल्ली, मार्च 25—मार्च 31, 2012, शनिवार/चैत्र 5—चैत्र 11, 1934
No. 13] NEW DELHI, MARCH 25—MARCH 31, 2012, SATURDAY/CHAITRA 5—CHAITRA 11, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2012

सा.का.नि. 64.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (प्रशासनिक अधिकारी) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (प्रशासनिक अधिकारी) समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ को प्रवृत्त होंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग (प्रशासनिक अधिकारी) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 1999 में,—

(i) नियम 2 में "वेतनमान" शब्द के स्थान पर "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासनिक अधिकारी	01* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3, (15600—39100 रु.) और ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
100 प्रतिशत प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति	I. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति 1. प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, में 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. वाले पद या समतुल्य पद पर दो वर्ष नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, में 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात् :– (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कला या विज्ञान या वाणिज्य में बैचलर डिग्री; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कार्मिक प्रशासन या मानव संसाधन विकास में तीन वर्ष का डिप्लोमा; और (iii) स्थापन, प्रशासन और लेखा कार्य में तीन वर्ष का अनुभव ।

(11)

II. ऐसे विभागीय सहायक प्रशासनिक अधिकारी [वेतन बैण्ड-2 में (9300—34800) + ग्रेड वेतन 4800 रु.] जिन्होंने दो वर्ष नियमित सेवा की हो, पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और उस पद पर नियुक्ति के लिए उसे चयनित किए जाने की दशा में ऐसे पद को प्रोन्नति द्वारा भरा जाना समझा जाएगा ।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 : प्रोन्नति के लिए, न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा ।

टिप्पण 5 : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2006 से या उस तारीख से जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद के लिए विस्तारित होगा, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 39021/2/2010-स्था. (बी)]

राकेश मोज़ा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत सरकार के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 286 तारीख 11 सितम्बर, 1999 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 271 तारीख 22 जुलाई, 2000 द्वारा उनमें संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 23rd March, 2012

G.S.R. 64.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Union Public Service Commission, (Administrative Officer) Group 'A' Post Recruitment Rules, 1999, namely :—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Union Public Service Commission, (Administrative Officer) Group 'A' post Recruitment (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission, (Administrative Officer) Group 'A' Post Recruitment Rules, 1999,—

(i) in rule 2, for the words "scale of pay", the words "pay band and grade pay or pay scale" shall be substituted;

(ii) for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Officer	01*(2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Pay Band-3, (Rs. 15600—39100) and Grade Pay Rs. 5400	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(10)	(11)
100 per cent Promotion or Deputation	**Promotion or Deputation :** **I. Deputation** Officers under the Central Government :— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' regular service in posts in the Pay Band of Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years' regular service in posts in the Pay Band-2 of Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and

(11)

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :—

(i) Bachelor's degree in Arts or Science or Commerce from a recognised University; or

(ii) three years diploma in Personnel Administration or Human Resource Development from a recognised Institution; and

(iii) three years experience in Establishment, Administration and Accounts Work.

II. The Departmental Assistant Adminstrative Officer [in the Pay Band-2 (Rs. 9300—34800) with Grade Pay of Rs. 4800] with two years regular service shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 1 : The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation including period of deputation to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or departments of the Central Government shall not exceed three years.

Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.

Note 5 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

[F. No. 39021/2/2010-Estt. (B)]

RAKESH MOZA, Under Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 286, dated the 11th September, 1999 and subsequently amended *vide* G.S.R. 271, dated the 22nd July, 2000.